# इटावा पुलिस

**प्रेस नोट दिनांक-19.02.2024**

## #OPERATION CONVICTION

**इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा तथा 30,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।**

**जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना चकरनगर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा तथा 30,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।**

**संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 27.04.2018 को वादी कपिल सिंह पुत्र शिवमोहन सिंह ग्राम सिम्हारा थाना फफूँद जनपद औरैया की तहरीर के आधार पर वादी की बहन से अतिरिक्त दहेज की मांग करना व मांग पूरी न होने पर प्रताडित करना व हत्या कर देना के संबंध मे थाना चकरनगर पर **मु0अ0स0 31/2018 धारा 498A/304B भादवि व धारा 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी श्री उत्तम सिंह क्षेत्राधिकारी चकरनगर द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना चकरनगर पुलिस टीम पैरोकार का0 गजराज एवं मानीटरिंग सैल व ए0डी0जी0सी0 श्री तरुण शुक्ला द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 19.02.2024 को अन्तर्गत धारा 302 भादवि में मा0 न्यायालय ADJ/FTC I इटावा द्वारा आजीवन कारावास की सजा तथा 30,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।**

**सजायाफ्ता अपराधी-**

1. **सूरज सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम डिभौली थाना चकरनगर जनपद इटावा।**